

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून आई0 एण्ड डी नाला ऋषिकेश एवं लक्कड़घाट पर 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य हेतु 0.05 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन। (Online File No - FP/UK/Others/27387/2017)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.05 हे0 आरक्षित वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून तथा वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-देहरादून आई0 एण्ड डी नाला ऋषिकेश एवं लक्कड़घाट पर 26 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनीत कुमार पांगती भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

तिथि : 3 / 03 / 2018

स्थान : देहरादून